संख्या-१३५/2016/2955/52-1-2016-1(40)/10

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तर प्रदेश,
इन्दिरा भवन, लखनऊ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1 लखनऊ, दिनांक 02 नवम्बर, 2016

विषय- 11वीं पंचवर्षीय योजना में मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेण्ट प्रोग्राम के अन्तर्गत जनपद गाजियाबाद (अविभाजित) में अवशेष 45 इण्डिया मार्का-।। हैण्ड पम्पों के निर्माण हेतु अतिरिक्त लागतवृद्धि की धनराशि की प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद गाजियाबाद (अविभाजित) में स्वीकृत 509 इण्डिया मार्का-।। हैण्ड पम्पों के निर्माण हेतु कुल धनराशि रू0 182.22 लाख कार्यदायी संस्था–**उ0प्र0 जल निगम** को 02 किश्तों में अवमुक्त किये गये थे, किन्तु उक्त धनराशि से केवल 464 हैण्ड पम्पों का अधिष्ठापन कार्य पूर्ण कराया गया है।

2- प्रश्नगत अवशेष 45 इण्डिया मार्का-।। हैण्ड पम्पों का अधिष्ठापन कार्य के सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था द्वारा लागत वृद्धि हेतु निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 को प्रस्ताव प्राप्त हुआ था, जिसके सम्बन्ध में निदेशालय स्तर पर गठित तकनीकी समिति की बैठक दिनांक 17.03.2015 में अनुमोंदन प्रदान किया गया। उक्त पुनरीक्षित आगणन को प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा संस्तुत रू0 22.26 लाख के स्थान पर रू0 21.90 लाख को अनुमोदित किया गया। अत: उक्त परियोजना की पुनरीक्षित लागत रू0 22.26 लाख के स्थान पर रू0 21.90 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए धनराशि रू० 21.90 लाख (रू० इक्कीस लाख नब्बे हजार मात्र) राज्यांश के रूप में योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्राविधानित बजट रू0 2000.00 लाख के सापेक्ष उपलब्ध अवशेष बजट लगभग रू0 357.00 लाख में से स्वीकृत कर अवमुक्त करते हुए आपके निवर्तन पर रखने व व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय स्वीकृति प्रदान करते हैं।

http://sbas.upnidesh.up.nic.in

(रू0 लाख में)

क्र0	जनपद	योजना	इकाई	अतिरिक्त इकाई लागत	कुल अनुमोदित केन्द्रांश	कुल राज्यांश	पूर्व में अवमुक्त (दोनों किश्ते)	वर्तमान में अवमुक्त अतिरिक्त धनराशि		वर्तमान में अवमुक्त कुल धनराशि
								केन्द्रांश	राज्यांश	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	गाजियाबाद (अविभाजित)	इण्डिया मार्का -।। हैण्डपम्पों का अधिष्ठापन	45 (509 -464	0.48			182.22	0.00	21.90	21.90
		योग=							**योग**	**21.90**

3- उक्त धनराशि का व्यय एवं उपभोग निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा:-

1- परियोजना के सम्बन्ध में नियमानुसार समस्त वैधानिक आपत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।

2- मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था का होगा।

3- प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) रोकने की दृष्टि से यह सुनिश्चित किया जाय कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

4- शासनादेश संख्या-2371/52-1-2012-1(40)/2010, दिनांक 08 अगस्त, 2012 में निहित शेष शर्तें यथावत लागू रहेंगी।

5- अवमुक्त धनराशि के व्यय के उपरान्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी से हस्तान्तरित उपभोग प्रमाण-पत्र, त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट तथा निर्माण कार्य के फोटोग्राफ्स की सूची की दो-दो प्रतियां निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 को उपलब्ध करायी जायेंगी। तदोपरान्त निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित उपभोग प्रमाण-पत्र व उक्त अन्य अभिलेख शासन को उपलब्ध कराये जायेंगे।

4- उक्त के फल स्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-48 के लेखा शीर्षक "4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-02-समाज कल्याण-800-अन्य व्यय-01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-**0103-अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों में मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेण्ट डिस्ट्रिक्ट प्लान के अन्तर्गत हैण्डपम्पों का अधिष्ठापन (के0 75/रा0 25)-24-वृहत् निर्माण कार्य** के नामे डाला जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

5- यह आदेश वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2015-231/2016, दिनांक 22.03.2016 में निहित प्राविधानों के अनुसार जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(श्रीप्रकाश सिंह)
सचिव।

संख्या-२९५५(1)/बावन-1-2016तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- बजट अधिकारी, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- संयुक्त सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार 11वां तल, पर्यावरण भवन, सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स लोधी रोड, नई दिल्ली।
5- प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश को इस आशय से प्रेषित कि एम0एस0डी0पी0 योजनान्तर्गत इण्डिया मार्क-2 हैण्डपम्प की स्थापना के लिए आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने हेतु अपने स्तर से भी सम्बन्धित अधिकारी को यथाआवश्यक निर्देश देने का कष्ट करें।
6- प्रबन्ध निदेशक, **उ०प्र० जल निगम, लखनऊ** को इस आशय से प्रेषित कि अवमुक्त धनराशि से प्रश्नगत कार्य को निर्धारित समय में पूर्ण कराने का कष्ट करें।
7- जिलाधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, गाजियाबाद (अविभाजित) ।
8- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
9- लेखाधिकारी/वेब अधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण, निदेशालय, लखनऊ को इस आश्य से प्रेषित कि प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
10- वित्त-ई-11 को एक प्रति तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 को तीन स्वच्छ प्रति।
11- निजी सचिव, मा0मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज को मा0मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
12- निजी सचिव, सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग को सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
13- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कलाम मुहीउद्दीन)

http://shasanadesh.up.nic.in

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in